न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1756 | दिनांक 02/12/2021

प्रार्थीनी :-
1.हेमलता पत्नि खेताराम
जाति मेघवाल, निवासी देदूसर
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1.भोजा पुत्र प्रहलाद, जाति मेघवाल
निवासी बावड़ीकला
2.आरब 3.अईब 4.लखा पि.अनवर
जातियान मुसलमान,
निवासी अली की ढाणी (देदूसर)
5.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 40/2021 | दिनांक : 30.11.2021

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावड़ीकला के मौजा गुमानपुरा के खेत खसरा सं. 637/33 रकबा 30.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1757 to 1760 | दिनांक 02/12/2021

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी हेमलता
3. विप्रार्थीगण भोजा वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:47:37 IST
Reason: SelfAttested